सुशीला बाई बनाम हंसराज

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 2021/145

20.05.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । अपीलान्ट प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में दिनांक 21.06.2018 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 क सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया । न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2021 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई । अपीलान्ट प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय हाजा ने दिनांक 14.07.2021 को अदम हाजरी एवं अदमी पैरवी में खारिज कर दिया । प्रार्थी के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिनोर का स्वास्थ्य गत माह दिसम्बर, 2020 से ही निरन्तर खराब चल रहा है जिसकी वजह से दिनांक 14.07.2021 को उनके अधिवक्ता सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे । कोरोना काल के चलते पिछली तारीख पेशियॉ भी सहवन से अधिवक्ता महोदय की डायरी में गलत अंकित हो गई थी । प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति सद्भाविक रही है इसलिए क्षम्य योग्य है । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र को रेस्टोर किया जावे । रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी कम 4 लगायत 7 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने स्वास्थ्य सम्बन्धी जो दस्तावेज पेश किये हैं वे विवादास्पद हैं तथाकथित दस्तावेजों में जो जॉच शास्त्री चेस्ट हॉस्पीटल, सिन्धी कॉलोनी, गंगापुर सिटी की है उनमें पैन से कोटा एवं योगेन्द्र अलग से लिया गया है जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि ये जॉचें गंगापुर सिटी के किसी अन्य व्यक्ति की रही होंगी जिन पर पैन से कोटा व अपना नाम अंकित कर दिया गया है तथा अन्य पर्चे माह जनवरी 2021 के हैं जो प्रार्थना पत्र की दिनांक से बिल्कुल अलग हैं तथा लगभग 06 माह पूर्व के हैं । कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र विगत कई तारीख पेशियों से साक्ष्य प्रार्थिया हेतु नियम था परन्तु आज दिन तक शपथ पत्र देने के पश्चात् प्रार्थिया जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी अन्त में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र एंव कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जावें ।

हमने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में दिनांक 21.06.2018 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 क सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया । न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2021 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने स्वयं की बीमारी के चिकित्सकीय पर्चियों की फोटो प्रति पेश की हैं । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने स्वयं के बीमार होने के कारण न्यायालय में अनुपस्थित होना जिम्मेदारी के साथ कथन किया है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.06.2022 को पेश हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा